



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 751]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 751]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 36/2019-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 964(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा, यथा:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या, तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या 25/1999-सीमा शुल्क, दिनांक 28 फरवरी, 1999 [सा.का.नि. 161(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1999]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, सूची क में, क्रम संख्या 231 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक "2710 19 60" के स्थान पर अंक "2710 19 71" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2.	अधिसूचना संख्या 105/1999-सीमा शुल्क, दिनांक 10 अगस्त, 1999 [सा.का.नि. 582(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1999]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) भाग क में, क्रम संख्या 62ग के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, "7103 [7103 91 को छोड़कर]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ii) भाग ख में, क्रम संख्या 51क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, "6203 29 90", को

		प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
3.	अधिसूचना संख्या 26/2000-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2000 [सा.का.नि. 178(अ), दिनांक 1 मार्च, 2000]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, सूची 3 में,- (i) क्रम संख्या 121 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6203 29", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 122 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6203 31", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 127 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6203 42", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 138 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 31", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रम संख्या 152 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6204 62", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vi) क्रम संख्या 155 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6205 20", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vii) क्रम संख्या 160 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6206 30", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (viii) क्रम संख्या 172 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6208 21", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ix) क्रम संख्या 178 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6209 20", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (x) क्रम संख्या 191 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6211 39", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (xi) क्रम संख्या 207 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6215 10", को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
4.	अधिसूचना संख्या 76/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 13 मई, 2003 [सा.का.नि. 394(अ), दिनांक 13 मई, 2003]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, - (i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0807 19" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; (ii) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर "7103 91" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
5.	अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2005 [सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 01 मार्च, 2005]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, (i) क्रम संख्या 13ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

		<table border="1"> <tr> <td>"13ढ</td><td>8517 62 90</td><td>रूटर्स";</td></tr> </table> (ii) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "8525 60 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।	"13ढ	8517 62 90	रूटर्स";
"13ढ	8517 62 90	रूटर्स";			
6.	अधिसूचना संख्या 25/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2005 [सा.का.नि. 123(अ), दिनांक 01 मार्च, 2005]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8527 99 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।			
7.	अधिसूचना संख्या 73/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005 [सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में:- (i) क्रम संख्या 37 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2902 19", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 84क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7104 20", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 109 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8517 12 11 से 8517 12 90", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 137 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8525 60 00", को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (v) क्रम संख्या 139 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; <table border="1"> <tr> <td>"139</td><td>8527 99 00</td><td>रेडियो पेजर्स"।</td></tr> </table>	"139	8527 99 00	रेडियो पेजर्स"।
"139	8527 99 00	रेडियो पेजर्स"।			
8.	अधिसूचना संख्या 74/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005 [सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में:- (i) क्रम संख्या 37 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2713 11", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 71 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2932 99", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 82 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2939 79", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 281 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, "7103 10", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रम संख्या 282 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, "7103 91", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;			
9.	अधिसूचना संख्या 75/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005 [सा.का.नि. 500(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 104 के समक्ष, कॉलम (2) में अंक "2915 39 90", के स्थान पर अंक "2915 39 99" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 106 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, "2916 20", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 245 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6211 39" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 253 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6214 20 21, 6214 20 29" को			

		प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रम संख्या 254 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6214 20 31, 6214 20 39" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vi) क्रम संख्या 442 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: - <table border="1"> <tr> <td>"442.</td><td>8527 99 00</td><td>सभी वस्तुएं (रेडियो पेजर्स को छोड़कर)" ।</td></tr> </table>	"442.	8527 99 00	सभी वस्तुएं (रेडियो पेजर्स को छोड़कर)" ।
"442.	8527 99 00	सभी वस्तुएं (रेडियो पेजर्स को छोड़कर)" ।			
10.	अधिसूचना संख्या 10/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 15 जनवरी, 2008 [सा.का.नि. 33 (अ), दिनांक 15 जनवरी, 2008]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 180 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "3908 10 11 से 3908 90 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 181, 182, 183 और 184 का लोप कर दिया जाएगा ।			
11.	अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008 [सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008]	उक्त अधिसूचना में, - (i) परिशिष्ट-I में, सारणी में, (क) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0713 10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) क्रम संख्या 95 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "6203 42" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ग) क्रम संख्या 97 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "6205 20" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) परिशिष्ट-II में, क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0807 19" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।			
12.	अधिसूचना संख्या 57/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 30 मई, 2009 [सा.का.नि. 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 35 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2909 49", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 50 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2932 99", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;			
13.	अधिसूचना संख्या 151/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 [सा.का.नि. 942(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 30 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7103 10 31, 7103 10 41, 7103 10 42", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- <table border="1"> <tr> <td>"31</td><td>7103 10</td><td>अनवर्कड या सिम्पली सान या रफली शेण्ड साधारण मूल्य वाले नग";</td></tr> </table>	"31	7103 10	अनवर्कड या सिम्पली सान या रफली शेण्ड साधारण मूल्य वाले नग";
"31	7103 10	अनवर्कड या सिम्पली सान या रफली शेण्ड साधारण मूल्य वाले नग";			

		(iii) क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- <table><tr><td>"73</td><td>8527 99 00</td><td>रेडियो पेजर्स";</td></tr></table>		"73	8527 99 00	रेडियो पेजर्स";					
"73	8527 99 00	रेडियो पेजर्स";									
14.	अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, [सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 522 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr><tr><td>"522</td><td>7103 10</td><td>अनवर्कड या सिम्पली सान या रफली शेड साधारण मूल्य वाले नग, जो माणिक, पन्ना और नीलम से भिन्न हैं।</td></tr></table>		(1)	(2)	(3)	"522	7103 10	अनवर्कड या सिम्पली सान या रफली शेड साधारण मूल्य वाले नग, जो माणिक, पन्ना और नीलम से भिन्न हैं।		
(1)	(2)	(3)									
"522	7103 10	अनवर्कड या सिम्पली सान या रफली शेड साधारण मूल्य वाले नग, जो माणिक, पन्ना और नीलम से भिन्न हैं।									
15.	अधिसूचना संख्या 69/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2011 [सा.का.नि. 593(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 179 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2710 12 41 से 2710 12 49", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 180 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2710 12 90, 2710 19 32, 2710 19 39", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 181 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2710 19 44, 2710 19 49", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 182 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2710 19 43, 2710 19 51 से 2710 19 59, 2710 19 71", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) क्रम संख्या 183 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2710 19 72 से 2710 19 79, 2710 19 87", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vi) क्रम संख्या 306 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- <table><tr><td>"306</td><td>3908 10</td><td>नायलॉन मॉउल्लिंग पाउडर</td><td>0.0";</td></tr></table> (vii) क्रम संख्या 307 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- <table><tr><td>"307</td><td>3908</td><td>सभी वस्तुएं, उनसे भिन्न जो कि क्रम संख्या 306 में उल्लिखित हैं</td><td>1.80";</td></tr></table>		"306	3908 10	नायलॉन मॉउल्लिंग पाउडर	0.0";	"307	3908	सभी वस्तुएं, उनसे भिन्न जो कि क्रम संख्या 306 में उल्लिखित हैं	1.80";
"306	3908 10	नायलॉन मॉउल्लिंग पाउडर	0.0";								
"307	3908	सभी वस्तुएं, उनसे भिन्न जो कि क्रम संख्या 306 में उल्लिखित हैं	1.80";								

		(viii) क्रम संख्या 684 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8525 60 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ix) क्रम संख्या 690 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- <table><tr><td>"690</td><td>8527 99 00</td><td>रेडियो पेजर्स</td><td>0.0";</td></tr></table> (x) क्रम संख्या 691 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- <table><tr><td>"691</td><td>8527 99 00</td><td>सभी वस्तुएं (रेडियो पेजर्स को छोड़कर)</td><td>1.80";</td></tr></table>	"690	8527 99 00	रेडियो पेजर्स	0.0";	"691	8527 99 00	सभी वस्तुएं (रेडियो पेजर्स को छोड़कर)	1.80";
"690	8527 99 00	रेडियो पेजर्स	0.0";							
"691	8527 99 00	सभी वस्तुएं (रेडियो पेजर्स को छोड़कर)	1.80";							
16.	अधिसूचना संख्या 68/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 [सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2012]	उक्त अधिसूचना में,- (i) सारणी-I में, क्रम संख्या 46 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक "2620 19 00", के स्थान पर, अंक "2620 19" प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (ii) सारणी-III में, क्रम संख्या 35 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0804 50 21 to 0804 50 29" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।								
17.	अधिसूचना संख्या 52/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 [सा.का.नि. 787(अ), दिनांक 30 जून, 2017]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2710 19 39" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।								
18.	अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2018 [सा.का.नि. 604(अ), दिनांक 30 जून, 2018]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 195 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक "2620 29 00", के स्थान पर, अंक "2620 29" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।								

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/145/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट :

1. प्रधान अधिसूचना संख्या **25/1999**-सीमा शुल्क, दिनांक 28 फरवरी, 1999, को सा.का.नि. 161(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1999 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 211(अ), दिनांक 1 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या **105/1999**-सीमा शुल्क, दिनांक 10 अगस्त, 1999, को सा.का.नि. 582(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1999 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था

और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 67/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1198 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

- [illegible]

12. प्रधान अधिसूचना संख्या **57/2009**-सीमा शुल्क, दिनांक 30 मई, 2009, को सा.का.नि. 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 67/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1198(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
13. प्रधान अधिसूचना संख्या **151/2009**-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, को सा.का.नि. 942(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 67/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1198 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
14. प्रधान अधिसूचना संख्या **152/2009**-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, को सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 15 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 220 (अ), दिनांक 15 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
15. प्रधान अधिसूचना संख्या **69/2011**-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2011, को सा.का.नि. 593(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 10/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 28 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 245(अ), दिनांक 28 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
16. प्रधान अधिसूचना संख्या **68/2012**-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, को सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 67/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1198 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
17. प्रधान अधिसूचना संख्या **52/2017**-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 787(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 70/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 26 सितम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 930 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
18. प्रधान अधिसूचना संख्या **50/2018**-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, को सा.का.नि. 604 (अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

No. 36/2019-Customs

G.S.R. 964(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments			
(1)	(2)	(3)			
1.	Notification No. 25/99 -Customs, dated the 28 th February, 1999 [G.S.R. 161(E), dated the 28 th February, 1999]	In the said notification, in the Table, in List A, against serial number 231, in column (2), for the figure “2710 19 60”, the figure “2710 19 71” shall be substituted.			
2.	Notification No. 105/1999 -Customs, dated the 10 th August, 1999 [G.S.R. 582(E), dated the 10 th August, 1999]	In the said notification, in the Table,- (i) in Part A, against serial number 62C, for the entry in column (3), the entry, “7103 [except 7103 91]”, shall be substituted; (ii) in Part B, against serial number 51A, for the entry in column (3), the entry, “6203 29 90”, shall be substituted.			
3.	Notification No. 26/2000 -Customs, dated the 1 st March, 2000 [G.S.R. 178(E), dated the 1 st March, 2000]	In the said notification, in the Table, in List 3,- (i) against serial number 121, for the entry in column (2), the entry, “6203 29”, shall be substituted; (ii) against serial number 122 for the entry, in column (2), the entry, “6203 31”, shall be substituted; (iii) against serial number 127, for the entry in column (2), the entry, “6203 42”, shall be substituted; (iv) against serial number 138, for the entry, in column (2), the entry “6204 31”, shall be substituted; (v) against serial number 152, for the entry in column (2), the entry, “6204 62”, shall be substituted; (vi) against serial number 155, for the entry in column (2), the entry, “6205 20”, shall be substituted; (vii) against serial number 160, for the entry in column (2), the entry, “6206 30”, shall be substituted; (viii) against serial number 172, for the entry in column (2), the entry, “6208 21”, shall be substituted; (ix) against serial number 178, for the entry in column (2), the entry “6209 20”, shall be substituted; (x) against serial number 191, for the entry in column (2), the entry, “6211 39”, shall be substituted; (xi) against serial number 207, for the entry in column (2), the entry, “6215 10”, shall be substituted.			
4.	Notification No. 76/2003 -Customs, dated the 13 th May, 2003 [G.S.R. 394(E), dated the 13 th May, 2003]	In the said notification, in the Table, - (i) against serial number 8, for the entry in column (2), the entries, “0807 19” shall be substituted; (ii) against serial number 24, for the entry in column (2), the entries, “7103 91” shall be substituted.			
5.	Notification No. 24/2005 -Customs, dated the 1 st March, 2005 [G.S.R.122(E), dated the 1 st March, 2005]	In the said notification, in the Table, - (i) for serial number 13N, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: - <table border="1" data-bbox="657 1787 1439 1839"> <tr> <td>“13N</td><td>8517 62 90</td><td>Routers”;</td></tr> </table> (ii) against serial number 16, for the entry in column (2), the entry, “8525 60 00” shall be substituted.	“13N	8517 62 90	Routers”;
“13N	8517 62 90	Routers”;			
6.	Notification No. 25/2005 -Customs, dated the 1 st March, 2005	In the said notification, in the Table, against serial number 14, for the entry in column (2), the entry “8527 99 00” shall be substituted.			

	[G.S.R.123(E), dated the 1st March, 2005]				
7.	Notification No.73/2005- Customs, dated the 22 nd July, 2005 [G.S.R. 498 (E), dated the 22 nd July, 2005]	In the said notification, in the Table,- (i) against serial number 37, for the entry in column (2), the entry, “2902 19”, shall be substituted; (ii) against serial number 84A, for the entry in column (2), the entry, “7104 20”, shall be substituted; (iii) against serial number 109, for the entry in column (2), the entry, “8517 12 11 to 8517 12 90”, shall be substituted; (iv) against serial number 137, for the entry in column (2), the entry, “8525 60 00”, shall be substituted; (v) for serial number 139 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: - <table border="1"> <tr> <td>“139</td><td>8527 99 00</td><td>radio pagers”.</td></tr> </table>	“139	8527 99 00	radio pagers”.
“139	8527 99 00	radio pagers”.			
8.	Notification No.74/2005- Customs, dated the 22 nd July, 2005 [G.S.R. 499 (E), dated the 22 nd July, 2005]	In the said notification, in the Table,- (i) against serial number 37, for the entry in column (2), the entry “2713 11”, shall be substituted; (ii) against serial number 71, for the entry in column (2), the entry “2932 99”, shall be substituted; (iii) against serial number 82, for the entry in column (2), the entry “2939 79”, shall be substituted; (iv) against serial number 281, for the entry in column (2), the entry, “7103 10”, shall be substituted; (v) against serial number 282, for the entry in column (2), the entry, “7103 91”, shall be substituted.			
9.	Notification No.75/2005- Customs, dated the 22 nd July, 2005 [G.S.R. 500 (E), dated the 22 nd July, 2005]	In the said notification, in the Table,- (i) against serial number 104, in column (2), for the figures “2915 39 90”, the figures “2915 39 99”, shall be substituted; (ii) against serial number 106, for the entry in column (2), the entry, “2916 20”, shall be substituted; (iii) against serial number 245, for the entry in column (2), the entry “6211 39”, shall be substituted; (iv) against serial number 253, for the entry in column (2), the entries, “6214 20 21, 6214 20 29”, shall be substituted; (v) against serial number 254, for the entry in column (2), the entries “6214 20 31, 6214 20 39”, shall be substituted; (vi) for serial number 442 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: - <table border="1"> <tr> <td>“442.</td><td>8527 99 00</td><td>All goods (except radio pagers)”.</td></tr> </table>	“442.	8527 99 00	All goods (except radio pagers)”.
“442.	8527 99 00	All goods (except radio pagers)”.			
10.	Notification No. 10/2008- Customs, dated the 15 th January, 2008 [G.S.R. 33 (E), dated the 15 th January, 2008]	In the said notification, in the Table,- (i) against serial number 180, for the entry in column (2), the entries “3908 10 11 to 3908 90 00”, shall be substituted; (ii) the serial numbers 181, 182, 183 and 184, shall be omitted.			

11.	Notification No. 96/2008 - Customs, dated the 13 th August, 2008 [G.S.R. 590(E), dated the 13 th August, 2008]	In the said notification, - (i) in Appendix-I, in the Table,- (a) against serial number 9, for the entry in column (2), the entries, “0713 10” shall be substituted; (b) against serial number 95, for the entry in column (2), the entry, “6203 42”, shall be substituted; (c) against serial number 97, for the entry in column (2), the entry, “6205 20”, shall be substituted. (ii) in Appendix-II, against serial number 12, for the entry in column (2), the entries “0807 19” shall be substituted.						
12.	Notification No. 57/2009 - Customs, dated the 30 th May, 2009 [G.S.R. 371(E), dated the 30 th May, 2009]	In the said notification, in the Table,- (i) against serial number 35, for the entry in column (2), the entry “2909 49”, shall be substituted; (ii) against serial number 50, for the entry in column (2), the entry “2932 99”, shall be substituted.						
13.	Notification No. 151/2009 - Customs, dated the 31st December, 2009 [G.S.R. 942(E), dated the 31st December, 2009]	In the said notification, in the Table,- (i) against serial number 30, for the entry in column (2), the entry, “7103 10 31, 7103 10 41, 7103 10 42”, shall be substituted; (ii) for serial number 31 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: - <table border="1" data-bbox="657 1075 1439 1153"> <tr> <td>“31</td><td>7103 10</td><td>Unworked or simply sawn or roughly shaped semi- precious stones”;</td></tr> </table> (iii) for serial number 73 and the entries relating thereto, the following entry shall be substituted, namely: - <table border="1" data-bbox="657 1232 1439 1276"> <tr> <td>“73</td><td>8527 99 00</td><td>radio pagers”.</td></tr> </table>	“31	7103 10	Unworked or simply sawn or roughly shaped semi- precious stones”;	“73	8527 99 00	radio pagers”.
“31	7103 10	Unworked or simply sawn or roughly shaped semi- precious stones”;						
“73	8527 99 00	radio pagers”.						
14.	Notification No. 152/2009 - Customs, dated the 31st December, 2009 [G.S.R. 943(E), dated the 31st December, 2009]	In the said notification, in the Table, for serial number 522 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: - <table border="1" data-bbox="657 1433 1439 1512"> <tr> <td>“522</td><td>7103 10</td><td>Unworked or simply sawn or roughly shaped precious stones [except Ruby, Sapphire and Emerald]”.</td></tr> </table>	“522	7103 10	Unworked or simply sawn or roughly shaped precious stones [except Ruby, Sapphire and Emerald]”.			
“522	7103 10	Unworked or simply sawn or roughly shaped precious stones [except Ruby, Sapphire and Emerald]”.						
15.	Notification No. 69/2011 - Customs, dated the 29 th July, 2011 [G.S.R. 593(E), dated the 29 th July, 2011]	In the said notification, in the Table, - (i) against serial number 179, for the entry in column (2), the entries “2710 12 41 to 2710 12 49” shall be substituted; (ii) against serial number 180, for the entry in column (2), the entries “2710 12 90, 2710 1932, 2710 19 39” shall be substituted; (iii) against serial number 181, for the entry in column (2), the entries “2710 19 44, 2710 19 49” shall be substituted; (iv) against serial number 182, for the entry in column (2), the entries “2710 19 43, 2710 19 51 to 2710 19 59, 2710 19 71” shall be substituted; (v) against serial number 183, for the entry in column (2), the entries “2710 19 72 to 2710 19 79, 2710 19 87” shall be substituted; (vi) For serial number 306, and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -						

		<table><tr><td>“306</td><td>3908 10</td><td>Nylon moulding powder</td><td>0.0”;</td></tr></table> (vii) For serial number 307, and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: - <table><tr><td>“307</td><td>3908</td><td>All goods other than goods mentioned at serial number 306</td><td>1.80”;</td></tr></table> (viii) against serial number 684, for the entry in column (2), the entries “8525 60 00” shall be substituted; (ix) For serial number 690 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: - <table><tr><td>“690</td><td>8527 99 00</td><td>Radio pagers</td><td>0.0”;</td></tr></table> (x) For serial number 691 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: - <table><tr><td>“691</td><td>8527 99 00</td><td>All goods (except radio pagers)</td><td>1.80”.</td></tr></table>	“306	3908 10	Nylon moulding powder	0.0”;	“307	3908	All goods other than goods mentioned at serial number 306	1.80”;	“690	8527 99 00	Radio pagers	0.0”;	“691	8527 99 00	All goods (except radio pagers)	1.80”.
“306	3908 10	Nylon moulding powder	0.0”;															
“307	3908	All goods other than goods mentioned at serial number 306	1.80”;															
“690	8527 99 00	Radio pagers	0.0”;															
“691	8527 99 00	All goods (except radio pagers)	1.80”.															
16.	Notification No. 68/2012-Customs, dated the 31 st December, 2012 [G.S.R. 953(E), dated the 31 st December, 2012]	In the said notification, - (i) in the Table I, against serial number 46, in column (2), for the figure “2620 19 00”, the figure “2620 19” shall be substituted; (ii) in the Table III, against serial number 35, for the entry in column (2), the entry, “0804 50 21 to 0804 50 29” shall be substituted.																
17.	Notification No. 52/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017 [G.S.R. 787 (E), dated the 30 th June, 2017]	In the said notification, in the Table, against serial number 4, for the entry in column (2), the entry “2710 19 39” shall be substituted.																
18.	Notification No. 50/2018-Customs, dated the 30 th June, 2018 [G.S.R. 604(E), dated the 30 th June, 2018]	In the said notification, in the Table, against serial number 195, in column (2), for the figure “2620 29 00”, the figure “2620 29” shall be substituted.																

2. This notification shall come into force from the 1st of January, 2020.

[F. No. 354/145/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note :

1. The principal notification **No. 25/99**-Customs, dated the 28th February, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 161(E), dated the 28th February, 1999 and last amended, *vide* notification No. 17/2016-Customs, dated the 1st March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 211(E), dated the 1st March, 2016.
2. The principal notification **No. 105/1999**-Customs, dated the 10th August, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 582(E), dated the 10th August, 1999 and was last amended by notification No. 67/2016-Customs, dated the 31st December, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1198(E), dated the 31st December, 2016.

3. The principal notification **No. 26/2000**-Customs, dated the 1st March, 2000 was published *vide* number G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2000 and last amended by notification No. 67/2016-Customs dated the 31st December, 2016 published *vide* number G.S.R.1198(E), dated the 31st December, 2016.
4. The principal notification **No. 76/2003**-Customs, dated the 13th May, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 394(E), dated the 13th May, 2003 and was last amended by notification No. 67/2016-Customs, dated the 31st December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1198(E), dated the 31st December, 2016.
5. The principal notification **No. 24/2005**-Customs, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.122(E), dated the 1st March, 2005 and last amended by notification No. 76/2018-Customs, dated the 11th October, 2018, *vide* number G.S.R. 1029 (E), dated the 11th October, 2018.
6. The principal notification **No. 25/2005**-Customs, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.123(E), dated the 1st March, 2005 and was last amended by notification No. 23/2019-Customs, dated the 6th July, 2019 *vide* number G.S.R. 480(E), dated the 6th July, 2019.
7. The principal notification **No. 73/2005**-Customs, dated the 22nd July, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 498(E), dated the 22nd July, 2005 and was last amended by notification No. 67/2016-Customs, dated the 31st December, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1198 (E), dated the 31st December, 2016.
8. The principal notification **No. 74/2005**-Customs, dated the 22nd July, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 499(E), dated the 22nd July, 2005 and was last amended by notification No. 67/2016-Customs, dated the 31st December, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1198 (E), dated the 31st December, 2016.
9. The principal notification **No. 75/2005**-Customs, dated the 22nd July, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 500(E), dated the 22nd July, 2005 and was last amended by notification No. 67/2016-Customs, dated the 31st December, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1198 (E), dated the 31st December, 2016.
10. The principal notification **No. 10/2008**-Customs, dated the 15th January, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 33(E), dated the 15th January, 2008 and was last amended by notification No. 61/2018-Customs, dated the 14th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 882(E), dated the 14th September, 2018.
11. The principal notification **No. 96/2008**-Customs, dated the 13th August, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 13th August, 2008 and was last amended by notification No. 68/2017-Customs, dated the 27th July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 962(E), dated the 27th July, 2017.
12. The principal notification **No. 57/2009**-Customs, dated the 30th May, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 371(E), dated the 30th May, 2009 and was last amended by notification No. 67/2016-Customs, dated the 31st December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1198(E), dated the 31st December, 2016.
13. The principal notification **No. 151/2009**-Customs, dated the 31st December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 942(E), dated the 31st December, 2009 and was last amended by notification No. 67/2016-Customs, dated the

- 31st December, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1198(E), dated the 31st December, 2016.
14. The principal notification No. **152/2009**-Customs, dated the 31st December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 943(E), dated the 31st December, 2009 and was last amended by notification No. 07/2019-Customs, dated the 15th March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 220(E), dated the 15th March, 2019.
 15. The principal notification No. **69/2011**-Customs, dated the 29th July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 593(E), dated the 29th July, 2011 and last amended by notification No. 10/2019-Customs, dated the 28th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 245(E), dated the 28th March, 2019.
 16. The principal notification No. **68/2012**-Customs, dated the 31st December, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 953(E), dated the 31st December, 2012 and last amended, *vide* notification No. 67/2016-Customs, dated the 31st December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1198(E), dated the 31st December, 2016.
 17. The principal notification No. **52/2017**-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 787(E), dated the 30th June, 2017 and last amended, *vide* notification No. 70/2018-Customs, dated the 26th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 930(E), dated the 26th September, 2018.
 18. The principal notification No. **50/2018**-Customs, dated the 30th June, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 604(E), dated the 30th June, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 37/2019-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 965(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

(I) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 20 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "0713 10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 40 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "1005 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 41 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "1005 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 137 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "2620 11 00, 2620 19" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 153 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 154 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “2711 19 10, 2711 19 20” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 250क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “3824 99 00” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 320 के समक्ष, कॉलम (2) में अंक “5504 10 00” के स्थान पर अंक “5504 10” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ix) क्रम संख्या 507 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (क) में, अंक “8517 69 30” के स्थान पर, अंक “8517 62 90” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (x) क्रम संख्या 513 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (क) के उप मद (iii) में, अंक “8517 69 30” के स्थान पर, अंक “8517 62 90” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/145/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 34/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 30 सितम्बर, 2019, सा.का.नि. 727(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

No. 37/2019-Customs

G.S.R. 965(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against S. No. 20A, for the entry in column (2), the entry “0713 10” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 40, for the entry in column (2), the entry “1005 90” shall be substituted;
- (iii) against S. No. 41, for the entry in column (2), the entry “1005 90” shall be substituted;
- (iv) against S. No. 137, for the entry in column (2), the entry “2620 11 00, 2620 19” shall be substituted;
- (v) against S. No. 153, for the entry in column (2), the entry “2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19” shall be substituted;
- (vi) against S. No. 154, for the entry in column (2), the entry “2711 19 10, 2711 19 20” shall be substituted;

- (vii) against S. No. 250A, for the entry in column (2), the entry “3824 99 00” shall be substituted;
- (viii) against serial number 320, in column (2), for the figures “5504 10 00”, the figures “5504 10”, shall be substituted;
- (ix) against S. No. 507, in column (3), in item (a), for the figures “8517 69 30”, the figures “8517 62 90” shall be substituted;
- (x) against S. No. 513, in column (3), in sub-item (iii) of item (a), for the figures “8517 69 30”, the figures “8517 62 90” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the 1st of January, 2020.

[F. No. 354/145/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 34/2019-Customs, dated the 30th September, 2019, published *vide* number G.S.R.727(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 38/2019-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 966(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 82/2017, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1341(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 231 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6203 29 00” के स्थान पर अंक “6203 29” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 232 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6203 31 00” के स्थान पर अंक “6203 31” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) क्रम संख्या 237 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6203 42 00” के स्थान पर अंक “6203 42” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 244 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6204 31 00” के स्थान पर अंक “6204 31” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (v) क्रम संख्या 254 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6204 62 00” के स्थान पर अंक “6204 62” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 257 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6205 20 00” के स्थान पर अंक “6205 20” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vii) क्रम संख्या 262 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6206 30 00” के स्थान पर अंक “6206 30” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (viii) क्रम संख्या 271 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6208 21 00” के स्थान पर अंक “6208 21” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (ix) क्रम संख्या 274 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6209 20 00” के स्थान पर अंक “6209 20” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (x) क्रम संख्या 281 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6211 39 00” के स्थान पर अंक “6211 39” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (xi) क्रम संख्या 291 के समक्ष, कॉलम (2) में, अंक “6215 10 00” के स्थान पर अंक “6215 10” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/145/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1341(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 58/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 07 अगस्त, 2018, सा.का.नि. 754(अ), दिनांक 07 अगस्त, 2018, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

No. 38/2019-Customs

G.S.R. 966(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 82/2017-Customs, dated the 27th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R.1341 (E), dated the 27th of October, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 231, in column (2), for the figures “62032900”, the figures “620329” shall be substituted;
- (ii) against serial number 232, in column (2), for the figures “62033100”, the figures “620331” shall be substituted;
- (iii) against serial number 237, in column (2), for the figures “62034200”, the figures “620342” shall be substituted;
- (iv) against serial number 244, in column (2), for the figures “62043100”, the figures “620431” shall be substituted;
- (v) against serial number 254, in column (2), for the figures “62046200”, the figures “620462” shall be substituted;
- (vi) against serial number 257, in column (2), for the figures “62052000”, the figures “620520” shall be substituted;
- (vii) against serial number 262, in column (2), for the figures “62063000”, the figures “620630” shall be substituted;
- (viii) against serial number 271, in column (2), for the figures “62082100”, the figures “620821” shall be substituted;
- (ix) against serial number 274, in column (2), for the figures “62092000”, the figures “620920” shall be substituted;
- (x) against serial number 281, in column (2), for the figures “62113900”, the figures “621139” shall be substituted;
- (xi) against serial number 291, in column (2), for the figures “62151000”, the figures “621510” shall be substituted;

2. This notification shall come into force from 1st of January, 2020.

[F. No. 354/145/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 82/2017-Customs, dated the 27th October, 2017 was published *vide* number G.S.R.1341(E), dated the 27th October, 2017 and last amended by notification no. 58/2018-Customs, dated the 7th August, 2018 published *vide* number G.S.R.754(E), dated the 7th August, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 39/2019-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 967(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा, यथा:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018 [सा.का.नि. 114 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में,- (क) अंक "0713 10 00" के स्थान पर अंक "0713 10", प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ख) अंक "6204 31 00" के स्थान पर अंक "6204 31", प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ग) अंक "6204 62 00" के स्थान पर अंक "6204 62", प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (घ) अंक "6206 30 00" के स्थान पर अंक "6206 30", प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) क्रम संख्या 51 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "टैरिफ मद 8517 12 11, 8517 12 19 और 8517 12 90 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.	अधिसूचना संख्या 12/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018 [सा.का.नि. 115 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 के समक्ष कॉलम (2) में प्रविष्टि "2710 19 30", के स्थान पर प्रविष्टि "2710 19 44, 2710 19 49", को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
----	---	---

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/145/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट :

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018, को सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 41/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 06 अप्रैल, 2018, जिसे सा.का.नि. 342(अ), दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018, को सा.का.नि. 115(अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 41/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 06 अप्रैल, 2018, जिसे सा.का.नि. 342(अ), दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

No. 39/2019-Customs

G.S.R. 967(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 11/2018-Customs , dated the 2 nd February, 2018 [G.S.R.114(E), dated the 2 nd February, 2018]	In the said notification, in the Table, - (i) against serial number 1, in column (2), - (a) for the figures “0713 10 00”, the figures “0713 10”, shall be substituted; (b) for the figures “6204 31 00”, the figures “6204 31”, shall be substituted; (c) for the figures “6204 62 00”, the figures “6204 62”, shall be substituted; (d) for the figures “6206 30 00”, the figures “6206 30”, shall be substituted; (ii) against serial number 51, for the entry in column (2), the entry, “All goods falling under tariff items 8517 12 11, 8517 12 19 and 8517 12 90.” shall be substituted.
2.	Notification No. 12/2018-Customs , dated the 2 nd February, 2018 [G.S.R.115 (E), dated the 2 nd February, 2018]	In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (2), for the entry “2710 19 30”, the entry “2710 19 44, 2710 19 49”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2020.

[F. No. 354/145/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No.11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018 and was last amended by notification No. 41/2018-Customs, dated the 6th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 342(E), dated the 6th April, 2018.
2. The principal notification No.12/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 115(E), dated the 2nd February, 2018 and was last amended by notification No. 41/2018-Customs, dated the 6th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 342(E), dated the 6th April, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 40/2019-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 968(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 788 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “2710 19 39” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/145/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 53/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 788(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

No. 40/2019-Customs

G.S.R. 968(E).—In exercise of the powers conferred sub-section (5) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 788(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against Sl. No. 4, for the entry in column (2), the entry “2710 19 39” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the 1st of January, 2020.

[F. No. 354/145/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 53/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 788(E), dated the 30th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 47/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 969(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1), (2) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपादन शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण), नियमावली, 1975 के नियम 13, 18 और 20 के साथ पठित, केंद्र सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या 22/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 31 मई, 2016, [सा.का.नि. 566(अ), दिनांक 31 मई, 2016]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (2) में, - (क) अंक '2915 39 90', के स्थान पर अंक '2915 39 99' प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ख) अंक '2933 19 90' के स्थान पर अंक '2933 19 91, 2933 19 99' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2.	अधिसूचना संख्या 43/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016 [सा.का.नि. 777 (अ.), दिनांक 8 अगस्त, 2016]	उक्त अधिसूचना में, अंक "5504 10 00", जहां-जहां भी ये आए हों, वहां-वहां अंक "5504 10 10, 5504 10 90", प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3.	अधिसूचना संख्या 6/2018- सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 12 मार्च, 2018 [सा.का.नि. 220(अ), दिनांक 12 मार्च, 2018]	उक्त अधिसूचना, सारणी में, कॉलम (2) में,- (क) अंक '2918 99 00', के स्थान पर अंक '2918 99 90' प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ख) अंक '2934 99 00', के स्थान पर अंक '2934 99 10, 2934 99 20, 2934 99 90' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
4.	अधिसूचना संख्या 55/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 नवम्बर, 2018 [सा.का.नि. 1118(अ.), दिनांक 15 नवम्बर, 2018]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (2) में, अंक, '2934 99 00', के स्थान पर अंक '2934 99' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
5.	अधिसूचना संख्या 57/2018- सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 [सा.का.नि. 1203(अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2018]	उक्त अधिसूचना में, - (क) अंक '3824 99 22', जहां-जहां भी ये आए हों वहां-वहां से, का लोप कर दिया जाएगा; (ख) अंक '3824 99 90', के स्थान पर, जहां-जहां भी ये आए हों, वहां-वहां, अंक '3824 99 00' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
6.	अधिसूचना संख्या 33/2019- सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 26 अगस्त, 2019 [सा.का.नि. 600(अ), दिनांक 26 अगस्त, 2019]	उक्त अधिसूचना में, शुल्क सारणी में, कॉलम (2) में,- अंक '3904 90 00', के स्थान पर अंक '3904 90 10, 3904 90 90' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/145/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

No. 47/2019-Customs (ADD)

G.S.R. 969(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 13, 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 22/2016-Customs (ADD) dated the 31 st May, 2016 [G.S.R. 566 (E), dated the 31 st May, 2016]	In the said notification, in the Table, in the Column (2), - (a) for the figures, '2915 39 90', the figures '2915 39 99' shall be substituted; (b) for the figures, '2933 19 90', the figures '2933 19 91, 2933 19 99' shall be substituted.
2.	Notification No. 43/2016-Customs (ADD) dated the 8 th August, 2016. [G.S.R. 777(E), dated the 8 th August, 2016]	In the said notification, for the figures "5504 10 00", wherever it occurs, the figures "5504 10 10, 5504 10 90", shall be substituted.
3.	Notification No. 6/2018-Customs (ADD) dated the 12 th March, 2018 [G.S.R. 220 (E), dated the 12 th March, 2018]	In the said notification, in the Table, in the Column (2),- (a) for the figures, '2918 99 00', the figures '2918 99 90' shall be substituted; (b) for the figures, '2934 99 00', the figures '2934 99 10, 2934 99 20, 2934 99 90' shall be substituted.
4.	Notification No. 55/2018-Customs (ADD) dated the 15 th November, 2018 [G.S.R. 1118 (E), dated the 15 th November 2018]	In the said notification, in the Table, in the Column (2), for the figures, '2934 99 00', the figures '2934 99' shall be substituted.
5.	Notification No. 57/2018-Customs (ADD) dated the 13 th December, 2018 [G.S.R. 1203 (E), dated the 13 th December, 2018]	In the said notification, - (a) the figure, '3824 99 22', wherever it occurs, shall be omitted; (b) for the figure, '3824 99 90', wherever it occurs, the figure '3824 99 00', shall be substituted.
6.	Notification No. 33/2019-Customs (ADD) dated the 26 th August, 2019 [G.S.R. 600 (E), dated the 26 th August, 2019]	In the said notification, in the Duty Table, in Column (2), for the figures, '3904 90 00', the figures '3904 90 10, 3904 90 90' shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the 1st of January, 2020.

[F. No. 354/145/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.